(b) what is the total number of such Srilankan Tamil militants residing in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) No, Sir.

(b) As reported by the State Government of Tamil Nadu, there are 1014 militants and suspected militants lodged in Special Camps in the State.

News item captioned 'Glasnost throws new light on Shastri's Delhi

1404. SHRI G. G. SWELL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned "Glasnost throws new light on Shastri's death" which appeared in the *Indian Express*, dated March 22, 1991; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) Yes, Sir.

(b) Government have taken note of the fact that the report has been categorically denied by the Soviet Embassy in New Delhi through a press release dated 4th April, 1991.

महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार

1405. श्रीमती रत्न कुमारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों (घटनाओं) में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिये कुछ नये कानून बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम एम० जैकब) : (क) और (ख) अपराधों को दर्ज करना, जांच पड़ताल करना, पता लगाना और रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के दर्ज मामलों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के उपबंधों को अधिक सख्त और प्रभावकारी बनाने के लिये इसे संशोधित किया गया है। केवल दहेज मृत्यु मामलों से ही नहीं अपितु विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिये, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 को अपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1983 द्वारा संशोधित किया गया है।

महिला और बाल विकास विभाग ने भी महिलाओं और राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन से संबंधित वर्तमान विधायनों की खामियों को दूर करने के लिये उपाय किये हैं।